1.

01

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :—पुखराज कांसोटिया **RAS**

राजस्व मूल वाद सख्या 13/2021

वादीनी	प्रतिवादीगण
01.प्रघुमन जरिये संरक्षक श्रीमती अरूणा पटेल पत्नी श्री भंवरलाल पटेल उम्र 34 वर्ष जाति पटेल निवासी खेमे का कुआ पाल रोड जोधुपर।	01.भंवरलाल पटेल पुत्र स्व, श्री देवाराम पटेल उम्र 43 वर्ष जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 02.प्रकाश पुत्र स्व0 श्री देवाराम पटेल जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 03.सुआ देवी पत्नी स्व0 श्री देवाराम पटेल जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा 188

उपस्थितिः

1. वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्य प्रकाश शर्मा उपस्थित
2. प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी सख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 9/10/2024

वादीनी ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी की सह खातेदारी की कब्जासुद्दा मालिकाना हक अधिकार की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 45 बीधा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 594 रकबा 47 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 968/520 रकबा 13 बीधा खसरा नम्बर 588 रकबा 62 बीधा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 26 रकबा 99 बीधा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे कृषि भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की माता व वादी के साथ मारपीट कर उनको घर से बेदखल कर दिया है तब से वादीनी अपनी माता श्रीमती अरूणा पटेल के साथ अपने ननिहाल मे प्रतिवादी संख्या 01 से अलग निवास कर रहा है वादी प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की सन्तान है तथा उसका प्रतिवादी की पुश्तैनी कृषि भूमि मे जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त हैं प्रतिवादी संख्या 01 वादी को उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि से बेदखल करने के उदेश्य से उक्त पुश्तैनी भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है जिसका उसको किसी भी प्रकार कोई विधिक अधिकार नही है क्योकि वादी का जन्म से ही उक्त कृषि भूमि मे हिस्सा निहित है प्रतिवादी संख्या 01 आपराधिक प्रवृति का व्याक्ति है जो आए दिन भूमि के बेचान हस्तान्तरण को लेकर वादी व उसकी माता के साथ लडाई झगडा करता रहता है प्रविवादी संख्या 01 वादी की भूमि को किसी भी तरीके से आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बाहुबल व आपराधिक प्रवृति का होने का फायदा उठाते हुए वादी के हिस्से की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है। वादी को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपयोग व प्रबन्ध करने का पूर्ण अधिकार है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 को किसी तरह की दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्य 1 को उसके हक हिस्से की भूमि मे दखलअन्दाजी का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण मिलीभगतपूर्ण वादी को पैतृक सम्पति को बेचान कर वादी को उसके हक हिस्से से मेहरूम करने पर आमादा है प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने के कारण उपरोक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार है जिसके विरूद्व कोई भी रिलिफ नही चाही गई है इसलिये धारा 80 सीपीसी को नोटिस नही दिया गया है वाद कारण दिनांक 14.01.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की सह खातेदारी की भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने हेतु अन्य खरीददारान को मौके पर लेकर आया तब उत्पन्न हुआ जो आज भी निरन्तर जारी है तथा वाद स्थाई निषेधाज्ञा का होने के कारण वाद कारण लगातार चालू है इसलिए वादीनी द्वारा सक्षम न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी वादी के पक्ष एवम्र प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की पेश की गई कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीनी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की विवादीत भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न किसी अन्य से करावे एवम्र मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे व किसी प्रकार से विवादीत कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण नही करे वादीनी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय मे वाद पेश किया गया।

वादीनी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। वादीनी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे बहस की गई। बहस मे प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

न्यायायल महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 07 जोधपुर महानगर जोधपुर के आदेश दिनांक 18.05.2022 मे भी प्रार्थीनी के पक्ष मे आदेश जारी किया गया जिसमे भंवरलाल द्वारा प्रार्थीनी या उसके बच्चे के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिसा कारित नही करेगे व साथ ही भवरलाल को दिनाक 16.06.2016 से प्रत्येक माह भरण पोषण के रूप मे 3000 रूपये अदा करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया जिससे यह सिद्व होता है कि अरूणा पटेल भवरलाल की पत्नी है व प्रघुमन भवरलाल का बेटा है इसलिए न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण के विरूद्व भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

समस्त विवेचन के आधार पर तथा पत्रावली का अवलोकन किया जाने के पश्चात वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिकी किया जाता हैं कि वादीनी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता हैं तथा वादीनी का विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 594 रकबा 47 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 968/520 रकबा 13 बीधा खसरा नम्बर 588 रकबा 62 बीधा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 26 रकबा 99 बीधा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 01 को पाबन्द किया जाता है कि विवादीत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण नही करे वादीनी के काब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वय कर न अन्य किसी से करावे मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावे तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा वाद वादीनी स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(पुखराज कांसोटिया **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 9/10/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 13 / 2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.प्रघुमन जरिये संरक्षक श्रीमती अरूणा पटेल पत्नी श्री भंवरलाल पटेल उम्र 34 वर्ष जाति पटेल निवासी खेमे का कुआ पाल रोड जोधुपर।		01.भंवरलाल पटेल पुत्र स्व, श्री देवाराम पटेल उम्र 43 वर्ष जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 02.प्रकाश पुत्र स्व0 श्री देवाराम पटेल जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 03.सुआ देवी पत्नी स्व0 श्री देवाराम पटेल जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी 202 डी फ्रेन्डशिप स्टोर मैन रोड धारावी मुम्बई। 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 13 / 2021 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी का विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 594 रकबा 47 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 968 / 520 रकबा 13 बीधा खसरा नम्बर 588 रकबा 62 बीधा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 26 रकबा 99 बीधा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 01 को पाबन्द किया जाता है कि विवादीत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण नही करे वादीनी के काब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वय कर न अन्य किसी से करावे मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावे।

नीज..मुबलिक..................................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................... ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 9/10/2024 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी